

भारत सरकार
संपदा निदेशालय

सामान्य पूल रिहायशी आवास की स्वीकृति / तकनीकी रूप में स्वीकृति हेतु आवेदन

सेवा में,

संपदा निदेशालय
निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110108

अनुरोधः

- > कृपया फार्म स्पष्ट अक्षरों में भरें।
- > दिन को (01.31), महीने को (01.12) व वर्ष को (2009)
- डी डी एम एम - वाई वाई वाई वाई फॉरमेट में भरें।
- > जहां आवश्यक हो सही (✓) चिन्ह लगाएं।
- > कृपया आबंटन पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें।

फोटो
(पासपोर्ट आकार का)

आबंटनी की पंजीकरण संख्या (आबंटन पत्र पर मुद्रित)	आबंटनी लेखा सं० (ए ए एन) (यदि आबंटित किया गया हो आवेदक द्वारा भर जाए)	प्राप्ति की तारीख (संपदा निदेशालय द्वारा भरी जाएगी)

आबंटन का ब्यौर						
आबंटन प्रस्ताव स्वीकार किया	आबंटन प्रस्ताव तकनीकी रूप से स्वीकार किया	आबंटन पत्र के अनुसार (आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें)				
		पूर्विकता तिथि / पात्रता तिथि	पूल जिससे आबंटित हुआ	आबंटन की तिथि	आबंटन आई डी	
संपदा निदेशालय द्वारा आबंटित आवास						
आवास का टाइप	लोकैलिटी	सेक्टर	ब्लाक	आवास सं०	तल	
यह आबंटन इस आवास के बदले में है (यदि कोई हो)						
आवास का टाइप	लोकैलिटी	सेक्टर	ब्लाक	आवास सं०	तल	

वैयक्तिक और सेवा का ब्यौर									
1. आबंटनी का पूरा नाम	न्यायपूर्ति / श्री/श्रीमती/डा०/इंजी/कु०/सुश्री								
2. पिता / पति का नाम									
3. पदनाम									
4. विभाग / संगठन									
5. मंत्रालय / राज्य सरकार									
6. क्या आप केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के पात्र कार्यालय में कार्यरत हैं?			7. सेवा ग्रुप				8. सेवा की स्थिति		
केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	ए	बी	सी	डी	अस्थायी	स्थायी		
9. सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है					10. सेवा का बैच वर्ष			11. सेवा काडर	
आई ए एस	आई पी एस	आई एफ एस	अन्य सेवाएं						
अन्य सेवाओं के मामले में कृपया सेवा का नाम इंगित करें					12. ग्रुप ए सेवा में आने की तिथि				
1	ए) जन्म तिथि				बी) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तिथि				
3									
1	ए) यह तिथि जिससे सरकारी सेवा में सतत रूप से तैनात हैं।				बी) यह तिथि जब से दिल्ली में सतत रूप से तैनात हैं				
4									

अग्रोधकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

15 लिंग		16. वैवाहिक स्थिति			17. श्रेणी			
पुरुष	महिला	एकल			विवाहित	सामान्य	एस सी	एस टी
		अविवाहित	विधवा / विधुर	तलाकरूदा				
18. ए) रैंक / स्थिति के आधार पर कृपया उपयुक्त कालम में सही का (✓) निशान लगाएं अग्रता अधिपत्र (टाइप VI ए से VIII)								
रैंक / स्थिति		कॉलम (ए) में वर्णित पद पर हैं			कॉलम ए में वर्णित रैंक / स्थिति के समकक्ष अभ्यक्ष / सदस्य के पद पर है।			
(ए)		(बी)			अभ्यक्ष (सी)		सदस्य (डी)	
कैबिनेट मंत्री								
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश								
मुख्य निर्वाचन आयुक्त								
रज्य मंत्री								
निर्वाचन आयुक्त								
उप मंत्री								
उच्च न्यायालय न्यायाधीश								
भारत सरकार के सचिव								
अपर सचिव								
संयुक्त सचिव								
बी) पुनः नियुक्ति से पहले का पद, यदि हो तो			ए) पिछला कार्यालय त्यागने की तिथि, यदि हो तो			ए) वर्तमान कार्यालय में पद ग्रहण की तिथि		
19. वेतन का ब्यौर								
ए) वेतन बैण्ड / वेतनमान (₹0)			सी) वर्तमान ग्रेड वेतन (₹0)		ई) वर्तमान बैण्ड वेतन (₹0)		एफ) वर्तमान मूल वेतन (₹0) (बैण्ड वेतन + ग्रेड वेतन)	
बी) छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण आदेश संलग्न है। कृपया सही (✓) का निशान लगाएं।					डी) वर्तमान ग्रेड वेतन किस तिथि से सतत रूप से ले रहे हैं।			
हां			नहीं					
20. वह स्रोत जिससे वेतन आहरित किया								
भारत की संचित निधि (कृपया सही का निशान लगाएं ✓)			अन्य स्रोत (कृपया स्पष्ट करें)		वह सरकारी कोष / वेतन एंव लेखा कार्यालय जहां से वेतन आहरित किया जा रहा है।			
21. दिनांक 01.01.2006 से वर्तमान तिथि तक ग्रेड वेतन / ग्रेड वेतन में परिवर्तन का ब्यौर								
क्र०सं०	तिथि	ग्रेड वेतन	मूल वेतन	वेतनमान / वेतन बैण्ड	कार्यालय का नाम			
ए)								
बी)								
सी)								
डी)								
22. आबंटनी की, 01.01.2001 से अब तक, तैनातियों का विवरण								
क्र०सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती का कार्यालय	तैनाती की अवधि					
			कब से	कब तक				
ए)								
बी)								
सी)								
डी)								

अग्रपंक्तिका अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

23. क्या आप मकान किराया भत्ता (एच आर ए) के लिए पात्र हैं ?		24. क्या आप किराया मुक्त आवास के लिए पात्र हैं ?		25. क्या आपको रक्षा अधिकारियों को लागू होने वाले किराए का भुगतान करना है ?		
जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	
26. क्या आप सरकारी आवास के आबंटन से वारित हैं ?						
जी हाँ	जी हाँ	यदि हाँ तो किस तिथि तक				
27. केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए ए आई एस और गैर ए आई एस अधिकारियों हेतु						
ए) क्या आप केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं ?		बी) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कब से हैं ?		सी) कार्यकाल कब तक है ?		
जी हाँ	जी हाँ					
डी) केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर न्वाइन करने पर निर्धारित वेतन (₹0में)						
ई) प्रतिनियुक्ति की अवधि (वर्षों में)	ए) वेतन बैण्ड / वेतनमान (₹0)	सी) ग्रेड वेतन (₹0)	ई) बैण्ड वेतन (₹0)	एफ) वर्तमान मूल वेतन (₹0) (बैण्ड वेतन+ ग्रेड वेतन)		
28. अस्थायी कार्मिकों के लिए जमानत का ब्यौरा						
जमानती का नाम						
संगठन						
सेवानिवृत्ति की तिथि						
कार्यालय / मंत्रालय						
जमानती का पता						
29	क्या आप / आपके पति / पत्नी संपदा निदेशालय (डी ओ ई) से आबंटित आवास के दखलकार हैं ? यदि हाँ, तो ब्यौरा				जी हाँ	जी नहीं
	दीर्घि :					
	आबंटि का नाम →	लोकेलिटी	सैक्टर	ब्लाक	आवास सं0	
30	क्या आप / आपके पति / पत्नी किसी विभागीय पूल / राज्य सरकार पूल से आबंटित आवास के दखलकार हैं ?				जी हाँ	जी नहीं
	यदि हाँ, तो ब्यौरा दीर्घि	कार्यालय के पते सहित विभाग / राज्य सरकार				
		आबंटि का नाम				
		मकान का पता				
		आबंटन की तिथि				
31	क्या आपका / आपके पति / पत्नी / आपकी आश्रित संतान का स्थानीय नगर पालिका अथवा किसी समीपवर्ती नगर पालिका क्षेत्र में अपना आवास है ?			जी हाँ	जी नहीं	
	यदि हाँ, तो ब्यौरा दीर्घि	गृह स्वामी का नाम	आवेदक से संबंध	मकान का पता		
		आवास का प्रतिवर्ष अनुमानित मूल्य, यदि कोई हो		किराए से मासिक आय, यदि हो तो		
32. के0 स0 स्व0 यो0 (सी जी एच एस) कार्ड का ब्यौरा						
के0 स0 स्व0 यो0 (सी जी एच एस) कार्ड नं0		जारी करने की तिथि		कार्ड में शामिल सदस्यों की सं0		

अग्रोधकता अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

33. परिवार का न्यौरा			
क्र०सं०	नाम	आयु	आबंटि से संबंध
(ए)			
(बी)			
(सी)			
(डी)			
(ई)			
(एफ)			

34. आवेदक के ह्यूटी स्थल का पता		35. स्थानीय रिहायशी पता		36. स्थाई / होम टाउन का पता	
फोन		फोन		फोन	
फैक्स		मोबाइल		ई-मेल	

37	संलग्न दस्तावेजों की सूची	
	(ए)	(बी)
	(सी)	(डी)
	(ई)	(एफ)

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूँ कि :

1. जब भी मैं अथवा मेरे पति / पत्नी / आश्रित संतान स्थानीय अथवा समीपवर्ती म्यूनिसिपैलिटी में कोई मकान लेते हैं अथवा किराए की आय में कोई परिवर्तन होता है, मैं संपदा निदेशालय को सूचित करूंगा / करूंगी ।
2. मैं सरकारी आवास के लिए वारित नहीं हूँ ।
3. आज तक संपदा निदेशालय अथवा पुनर्वास विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन या स्थानीय निकाय द्वारा मुझे या मेरे पति / पत्नी को कोई अन्य सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है

अथवा

मेरे पति / पत्नी को आबंटित आवास निर्धारित अवधि के भीतर खाली करने का मैं वचन देता / देती हूँ ।

4. सामान्य पूल रिहायशी आवास के आबंटन हेतु मेरे आवेदन की तिथि से अब तक मैं पात्र जॉन में अवस्थित पात्र कार्यालय में सतत रूप से कार्यरत हूँ । मैं यह वचन देता हूँ कि दिल्ली में / दिल्ली से बाहर अथवा सामान्य पूल रिहायशी आवास हेतु अपात्र कार्यालय में मेरा स्थानांतरण होने पर मैं संपदा निदेशालय को सूचित करूंगा ।

तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर

अप्रेषण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

अंग्रेषित करने वाले कार्यालय द्वारा भर जाए

कार्यालय आई डी (10.अंकों का आई डी)	पृष्ठांकन सं०		तिथि					
कार्यालय								
कार्यालय की श्रेणी कृपया सही का निशान (✓) लगाएं	केन्द्र सरकार							राज्य सरकार
	मंत्रालय	विभाग	संबद्ध कार्यालय	अधीनस्थ कार्यालय	स्वायत्त निकाय	साविधिक निकाय	अन्य	
आवेदक का नाम								
पदनाम								
आवेदक की सरकारी सेवा में सतत रोजगार की तिथि				वर्तमान ग्रेड वेतन	वर्तमान बैण्ड वेतन	वर्तमान मूल वेतन		
आवेदक की वैवाहिक स्थिति								
अविवाहित	विवाहित	विधवा	विधुर	तलाकशुदा				

- संपदा निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अंग्रेषित ।
- प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में आवेदक द्वारा वर्णित सारी जानकारी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित उपरोक्त जानकारी अभिलेखों से सत्यापित की गई है तथा सही पायी गई है ।
- इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि :-
ए) आवेदक / आबंटी इस मंत्रालय / कार्यालय का स्थायी कर्मचारी है ।

अथवा

- आवेदक / आबंटी अस्थायी कर्मचारी है तथा विनिर्दिष्ट फॉर्म में विधिवत रूप से पूर्ण जमानत संलग्न है।
बी) टाइप के आवास हेतु आवेदक की पूर्विकता / पात्रता तिथि है।
सी) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सामान्य पूल रिहायशी आवास के आबंटन हेतु पात्र कार्यालय में कार्यरत है तथा उसे सामान्य पूल आवास के आबंटन से वारित नहीं किया गया है ।
डी) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किराया मुक्त आवास हेतु पात्र है / पात्र नहीं है ।

- केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में कार्यरत आवेदकों हेतु :-

ए) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक दिल्ली प्रशासन पूल को छोड़कर किसी अन्य विभागीय पूल से आबंटन का पात्र नहीं है ।

बी) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक से कनिष्ठ किसी अधिकारी को दिल्ली प्रशासन पूल / सी बी आई पूल / हॉस्पिटल पूल इत्यादि से बारी आने पर आवास आबंटित नहीं किया गया है ।

तारीख सहित हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय की मोहर

पदनाम

टेलिफोन

ई-मेल

नोट : सामान्य पूल रिहायशी आवास हेतु पात्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्टाॅफ को इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह दिल्ली प्रशासन पूल के अतिरिक्त किसी अन्य विभागीय पूल से आवास प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है । प्रमाणपत्र यह भी इंगित करेगा कि आवेदक से किसी भी कनिष्ठ अधिकारी को दिल्ली प्रशासन पूल से बारी आने पर आवास आबंटित नहीं किया गया है ।

आबंटन से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक निर्माण भवन (भूतल, गेट नं० 2 के निकट) स्थित सूचना सुविधा केन्द्र से संपर्क करें ।

ई-मेल : ddccomp-estates@nic.in

वेबसाइट: <http://estates.nic.in>

फोन सं०: 23022199 एक्सटेंशन. 2890